कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम,
भदभदा रोड, भोपाल –462003 (म.प्र.)

क्रमांक – 2472 / 18.09.2025

विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक क्र. 30.01.2024 म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07–19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.02.2024 एवं म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–8–2/2013/आ.प्र.एक भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत **दिव्यांगजनों के लिये** 01 पद सहायक ग्रेड–3 के आरक्षित पद की पूर्ति वाक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है । इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यार्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 03.10.2025 को कार्यालयीन समय 5.30 बजे सांयकाल तक आवेदन पत्र अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक म.प्र.पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगत भदभदा रोड भोपाल को प्रेषित करें । निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जावेगा । डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिये कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा । दिव्यांजनों हेतु आरक्षित रिक्त पद का विवरण वेतनमान,निर्धारित योग्यता एवं वाक इन इंटरव्यू के लिये निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित वर्गवार रिक्तियां – बहरे और कम सुनने वाले (श्रवण बाधित)	निर्धारित योग्यता	वाक इन इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
01	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	लेवल–4 19500–62000	01(एक)	1.10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण । 2. मान्यता प्राप्त विश्वविधालय/संस्था से न्यूनतम एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा । 3.मध्यप्रदेश शासन,विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभागांर्गत आयोजित कम्प्यूट दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी)हिन्दी टायपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र ।	27.10.2025 प्रातः10.30 बजे

मुख्य शर्तेः–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं ।
2. रिक्त पद की पूर्ति (दिव्यांग) अनुसूचित जनजाति (विशेष जनजाति)ओपन/अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन/एवं अनारक्षित महिला श्रेणी से की जावेगी।
3. अनुसूचित विशेष जनजाति–बैगा,सहारिया,भारिया श्रेणी हेतु निर्धारित मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है
4. समस्त प्रमाण –पत्रों को समक्ष अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने के उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावे ।

5. मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–38/16/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष आरक्षित वर्ग–अनु.जाति,अनु.जन जाति.अन्य पिछड़ा वर्ग,शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों /नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित)आदि के लिये 18 से 45 वर्ष(अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)होगी ।
6. आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ।
7. आवेदक को वाक इन इंटरव्यू /साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य है
8. दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.05.2021 से लागू की गई है । अतःउक्त तिथि के पूर्व जारी मेन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण–पत्र भी मान्य होगा ।
9. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण–पत्र /जाति प्रमाण पत्र एवं समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा ।
10. वाक इन इंटरव्यू के लिये आने वाले आवेदकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
11. अधूरे अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
12. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन समय में अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक म.प्र.पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगत भदभदा रोड भोपाल कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।
13. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो तो उसे उक्त पद के लिये अयोग्य माना जावेगा
14. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण करता है ।
15. आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक की पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है ।
16. मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार आरक्षण न करते हुये दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया/भारिया/एवं बैगा)महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।
17. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेगें । अभिलेखों को कूटचरित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपांतरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिये जायेगें । साथ ही ऐसे विवरण दिये गये हों जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो जो चयन के लिये आवश्यक हो तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिये जायेगें ।
18. दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में दिव्यांग है,यह जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जावेगें ।
19. यह कि दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा ।
20. शासन के आदेश अनुसार कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 से अधिक जीवित संतानें है,जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद में दो या अधिक संतानें जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नहीं माना जावेगा ।

21\. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी–3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा । परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथत वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जावेगी ।

22\. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार अध्यक्ष,म.प्र.पु.आ.अधो संरचना निगम भोपाल के पास सुरक्षित होगें ।

अधीक्षण यंत्री,
म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो0
विकास निगम भोपाल

आवेदन का पारूप

पदनाम–सहायक ग्रेड–3

स्व–प्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें

प्रति,

अध्यक्ष सह/प्रबंध संचालक
म.प्र.पुलिस आवास एवं अधोसंरचना वि. नि
भदभदा रोड़ भोपाल (म.प्र.) पिन.कोड.462003

1. आवेदन/आवेदिका का पूरा नाम ....
2. आवेदन/आवेदिका के पिता/पति का नाम ....
3. आवेदन/आवेदिका की माता का नाम ....
4. आवेदन/आवेदिका की जन्मतिथि ....
(जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार)
5. दिनांक 01.12.2024 को आयु वर्ष ....माह....................दिन....................
6. आवेदन/आवेदिका का लिंग (पुरूष/महिला/अन्य)..
7. निः शक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी (हां/नहीं)..
8. श्रेणी (अनारक्षीत/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)..
9. दिव्यांगता की श्रेणी....................दिव्यांगता का प्रतिशत....................
10. आवेदन/आवेदिका की जाति ....
11.आवेदन/आवेदिका यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र अनुसार विवाह की दिनांक....................
12.जीवित संतानों का विवरण..
13.वर्तमान पता/पिन कोड..
14.स्थाई पता/पिन कोड..
15.पत्राचार का पता/पिन कोड..
16.रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम....................
....
17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताए (प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणति छाया प्रतिया संलग्न करें)

क्र0	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी

18.अनुभव यदि हो तो उसका विवरण..
19.अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण..
20.ईमेल आईडी..
21.मोबाईल नम्बर 1....................2....................

आवेदन के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

घोषणा पत्र

" मै घोषणा करता हू/करती हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है। यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णताः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावे।"

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न दस्तावेजों की सूची